29.10.25 आज [illegible] पत्रावली पेश हुई वकुलाऐ फरीकेन उपस्थित। आज P.O. साहब राजकार्य से बाहर/[illegible] हैं। [illegible] आदेशानुसार दिनाक 3.11.25 को पेश हो।

3.11.25 शामिल वादी अर्जी वाद पत्र मनन कर अवलोकन पत्रावली वादी का वाद स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णीत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), दूदू, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश कुमार, R.A.S.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 27/2025
वाद दायरी दिनांक : 11/03/2025
निर्णय दिनांक : 3/11/2025

महावीर प्रसाद पुत्र कल्याण जैन जाति महाजन नि0 साली तह0 दूदू जिला जयपुर राज0।

–वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती
(अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.ए. 1955 व धारा 136 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति : **श्री भैरूलाल शर्मा**
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 3/11/2025

– : निर्णय : –

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत् घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि "जमाबंदी संवत 2074–2077 के खाता सं0 552 के आराजी ख0 नं0 2750 रकबा 2.53 है0 भूमि वाके ग्राम साली, तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी वर्तमान खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो सही है तथा वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश द्वारा दिनांक 15.08.1976 को वादी के हक में अलाटमेन्ट खोला जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घौषित किया गया है। वाद पत्र के मद सं0 1 मे वर्णित भूमि राज्य सरकार से वादी को प्राप्त हुयी है तथा मुताबिक निर्णय एंव डिक्री वादी को खातेदारी अधिकार सृजित हुये है जो की रिकार्ड से प्रमाणित है। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की खातेदारी के आगे सीलिंग शब्द राजस्व कारकुनानों द्वारा सहवन से

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

लिपिकिय त्रुटीवश गलत दर्ज कर दिया गया है। जो की काबिले हजफ है। वादी के नाम दर्ज खातेदारी के आगे सीलिंग शब्द त्रुटीवश दर्ज हो जाने से वादी को राज्य सरकार द्वारा देय लाभों परिलाभों से वंचित होना पड रहा है। उक्त भूमि कभी भी सीलिंग की नहीं रही है। तत्पश्चात भी किया गया गलत इन्द्राज काबिले दुरूस्त है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को हाल ही राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति दिनांक 07.03.2025 को प्राप्त करने पर उक्त इन्द्राज सीलिंग बाबत होने पर वादी ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर सीलिंग शब्द हटाने का निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी ने माननीय न्यायालय में जाकर चाराजोही एंव वांछित अनुतौष प्राप्त करने की हिदायत दी। तदानुसार वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है।"

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद बाबत घोषणा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमायी जाकर घोषणा इस कदर फरमायी जावे की वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित आराजी ख0 नं0 2750 रकबा 2.53 है0 भूमि वाके ग्राम साली, तहसील दूदू जिला जयपुर में दर्ज सीलिंग का अंकन हजफ घोषित फरमाया जावें। इस आशय की डिक्री पारीत कि जावें एवं डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार दूदू को लिखा जावें। वादी का वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित आराजीयात से सीलिंग शब्द को हजफ फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। पैराकर सरकार उपस्थित होकर दिनांक 08/09/2025 को प्रतिवादी/तहसीलदार जवाब/रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 15/09/2025 अधिवक्ता वादी ने गवाह पीडब्ल्यू 1 महावीर प्रसाद पुत्र कल्याण, पीडब्ल्यू 2 ब्रम्हा नन्द पुत्र छीतर, पीडब्ल्यू 3 भगवती प्रसाद शर्मा पुत्र रामनारायण के शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। गवाह पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 3 स्वयं उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं कर बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी ।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र एवं दस्तावेजात, जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खाता संख्या 552, जमाबन्दी सम्वत् 2036–2040, 2041–2045, 2045–2048,

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

070–2073 व 2074–2077, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरकरण संख्या 544 दिनांक 01/10/1977, नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 02/12/2010, विवाह पीडब्ल्यू 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रतिवादी/पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 552 ग्राम साली के साबिक खसरा नम्बर 2525/2 रकबा 2.53 हैक्टेयर की आराजीयात वादी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार दूदू ने अपने जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार वादी को आवंटन सिवाचक सिलिंग से अलोटमेण्ट दिनांक 15/06/1976 से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभरलेक के आदेशानुसार आवंटित हुआ है। जो कि नामान्तरकण संख्या 544 दिनांक 01/10/1977 के जरिये सिवायचक सिलिंग भूमि से महावीर प्रसाद पुत्र कल्याण मल जाति जैन सा0 साली गैर खातेदार के स्वीकृत हुआ। वादी को ग्राम साली के नामान्तरकरण संख्या 544 स्वीकृत दिनांक 01/10/1977 के जरिये सिवायचक सिलिंग से गैर खातेदारी तथा नामान्तरकण संख्या 271 स्वीकृत दिनांक 02/12/2010 के जरिये खातेदारी का नामान्तरकण दर्ज रिकॉर्ड है। सिलिंग शब्द का अंकन सैग्रीगेशन के दौरान नहीं होकर आंवटन नामान्तरकण से लेकर वर्तमान तक की सभी राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में दर्ज रिकॉर्ड हैं। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी डिक्री नहीं किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जतायी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त यह पाया जाता है कि वादी ने अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों व साक्ष्य गवाहान से बखूबी साबित किया है, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बाबत् घौषणा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बाबत् घोषणा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 552 के खसरा नम्बर 2750 रकबा 2.5300 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम साली तहसील दूदू में दर्ज "अ.विव.–सीलिंग" का अंकन हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि निर्णय एवं डिक्री की पालना सुनिश्चित करावें।

निर्णय आज दिनांक 3/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(रमेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू, जिला जयपुर